FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल नम्बरः–1036 / 2021

किस्म प्रार्थना–पत्रः– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र रामनारायण जाति ब्राहमण निवासी रामकुमारपुरा तह. खेतड़ी व अन्य

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.03.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1854 दिनांक 10.03.2022 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। –:आदेश:– अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम **रामकुमारपुरा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 हाल खाता संख्या 142 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि कैलाश पुत्र रामनारायण जाति राजपूत के स्थान पर **कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र रामनारायण जाति ब्राहमण व प्रभातीलाल, महावीर, रामोतार पुत्रान रामनारायण की जाति राजपूत से ब्राहमण** दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 16.03.2022 को न्यायालय में सुनाया गया। (जय सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:16:19 IST
Reason: SelfAttested